

न्यायालय :-सदस्य, द्वि०अति० मो०दु०दा०अधि० बालाघाट
शृंखला न्यायालय बैहर
 (पीठासीन अधिकारी- माखनलाल झोड़)

मो०दु०दा० क्र.-13 / 2017

संस्थित दिनांक -05.12.2016

Filling No. MACC/15/2017

C.N.R. NO.-M.P.5005-000046-2017

- 1- श्रीमती राजकुमारी पंचेश्वर पति स्व. श्री रवि कुमार पंचेश्वर उम्र 22 वर्ष,
- 2- दीपांशु पंचेश्वर पिता स्व. श्री रवि कुमार पंचेश्वर उम्र 01 वर्ष {नाबालिग}
वली मां श्रीमती राजकुमारी पंचेश्वर पति स्व. श्री रवि कुमार पंचेश्वर
- 3- श्रीमती मीना पंचेश्वर पति स्व. श्री संतलाल पंचेश्वर उम्र 48 वर्ष
सभी जाति मरार निवासी ग्राम बछेरापाट बाहकल थाना मलाजखण्ड
तहसील बिरसा जिला बालाघाट (म०प्र०) — — — — **आवेदकगण।**

— // **विरुद्ध** // —

- 1- बिसरू सिंह धुर्वे पिता श्री रामचरण धुर्वे उम्र 27 वर्ष जाति गोंड
निवासी ग्राम भीमा थाना मलाजखण्ड तहसील बिरसा
जिला बालाघाट (म.प्र.)—{वाहन चालक एवं स्वामी}

— — — — — **अनावेदक।**

=====

आवेदकगण द्वारा श्री नंदकिशोर पंचेश्वर अधिवक्ता।
अनावेदक द्वारा श्री वैभव मिश्रा अधिवक्ता।

=====

— // // **आदेश** // // —

(आज दिनांक **19 फरवरी 2018** को घोषित)

1. आवेदकगण ने अनावेदक बिसरू सिंह के विरुद्ध यह मो.दु.दा. अनावेदक
क्रं. 1 द्वारा दिनांक 15.05.2016 को 02.30 बजे दिन में मलाजखण्ड, मण्डई मेन रोड
पर, ग्राम पल्हेरा चौक के पास मोटर साईकल हीरो ग्लेमर वाहन क्रमांक एम.पी.50 एम.

के.0130 को अत्यधिक तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाकर रविकुमार को टक्कर मारकर मृत्यु कारित किये जाने के आधार पर क्षतिपूर्ति हेतु पेश किया है।

2. आवेदकगण के मूल आवेदन का सार यह है कि रविकुमार उम्र 29 वर्ष दिनांक 15.05.2016 को मलाजखण्ड से मढ़ई मेन रोड पर अपनी मोटरसाईकल क्रं. एम. पी.50बी.ए.0812 को सावधानीपूर्वक चलाकर सब्जी विक्रय कर वापस ग्राम बछेरापाट बापस आ रहा था तब अना. क्रं. 1 ने मोटरसाईकल नंबर एम.पी.50एम.के.0130 को उतावलेपन से लापरवाहीपूर्वक चलाकर टक्कर मृतक की मोटरसाईकल को मार दी जिससे रविकुमार के सिर में, सीने में और शरीर पर चोटें आई जिसका उपचार कराने के दौरान रविकुमार की मृत्यु बालाघाट ले जाते समय हो गई। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना मलाजखंड में कराने पर अपराध क्रं. 77/2016 अनावेदक के खिलाफ पंजीबद्ध किया गया। अनावेदक की मासिक आय 6,000/—(छः हजार) रु. थी। भविष्य की आय की क्षति 8,16,000/—(आठ लाख सोलह हजार)रु. हुई है। आवेदक क्रं. 1 को दाम्पत्य सुख से वंचित होने के मद में 1,00,000/—(एक लाख)रुपये, आवेदक क्रं. 2 को पितृ सुख से वंचित होने के मद में 1,00,000/—(एक लाख)रु., शारीरिक, मानसिक क्लेश के मद में 50,000/—(पचास हजार)रुपये, अंतिम संस्कार के क्रिया कर्म के मद में 25,000/—(पच्चीस हजार)रुपये मोटरसाईकल की क्षति की भरपाई हेतु 8000/—(आठ हजार)रुपये कुल 10,99,000/—(दस लाख निन्यान्वे हजार)रुपये की क्षतिपूर्ति दिलाये जाने और दाविया राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज दिलाये जाने की, वादव्यय दिलाये जाने की याचना की है।

3. अनावेदक द्वारा आवेदन का उत्तर पेश कर आवेदन की कंडिका क्रं. 1 लगायत 30 में लेख अभिवचनों को इंकार किया है तथा अनावेदक क्रं. 1 शीर्षखंड में वाहन चालक स्वामी के रूप में लेख होना स्वीकार किया है। आवेदकगण और अनावेदक के बीच कोई दुर्भि संधि न होना लेख करते हुए विशिष्ट कथन में अभिकथन किया है कि पुलिस थाना मलाजखंड द्वारा अपराध क्रं. 77/2016 धारा 279, 304ए

भा0द0विं0 तथा मोटरयान के अधीन पंजीबद्ध किया था। मृतक रविकुमार की साग सब्जी उत्पादन करने से आय 6000/- रुपये थी। आवेदकगण मृतक पर आश्रित थे। दुर्घटना में मृत्यु होने से आय से वंचित होना पड़ा। लाड़-प्यार से वंचित होना पड़ा, दाम्पत्य, मानसिक सुख से वंचित होना पड़ा। कुल 10,99,000/- (दस लाख निन्यानवे हजार) रुपये और उस पर 12 प्रतिशत ब्याज, वादव्यय अनावेदक से दिलाये जाने की याचना की है।

4. अनावेदक ने उत्तर पेश कर आवेदन में लिखे गये तथ्यात्मक अभिकथनों को पदवार इकार किया है। विशिष्ट कथन करते हुए लेख किया है कि थाना मलाजखंड ने अपराध क्रं. 77/16 में अनावेदक का वाहन जप्त किया है। प्रथमसूचना में वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर लेख नहीं है। आवेदक ने दुर्घटना कारित नहीं की। दिनांक 04.06.2016 को वाहन सहित अनावेदक को थाने में बुलाकर जबरन कार्यवाही की गई थी। यह दावा झूठा पेश किया है। आवेदकगण अनावेदक से किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी नहीं है। दावा पोषणीय नहीं है, निरस्त किये जाने की याचना की है।

आवेदन के निराकरण हेतु निम्न वादप्रश्न निर्मित किए गए हैं :-

क.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या दिनांक 15.05.2016 को ग्राम पलहेरा चौक के पास मेन रोड़ मंढ़ई थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट में लोक मार्ग पर अना. क्रं.1 ने वाहन क्रं. एम.पी.50एम.के. 0130 को लापरवाहीपूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर रविकुमार उर्फ रवि पंचेश्वर को टक्कर मारने से रवि कुमार की दुर्घटना में मृत्यु हुई ?	प्रमाणित
2	क्या मृतक की आयु 29 वर्ष होकर उसकी मासिक आय 6,000/-रुपये थी ?	प्रमाणित
3	क्या उक्त दुर्घटना में रवि कुमार की मृत्यु होने से आवेदकगण अनावेदक से 10,99,000/-रुपये(दस लाख निन्यानवे हजार रुपये) क्षतिपूर्ति राशि और उस पर 12 प्रतिशत ब्याज अनावेदक से पाने के अधिकारी हैं ?	निराकृत

4	सहायता एवं व्यय ?	कंडिका क्र. 21, अ, ब, स, द, इ के अनुसार
---	-------------------	---

वादप्रश्न क्रमांक 1 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष :-

5. श्रीमती राजकुमार ने आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत मुख्य कथन पेश कर पद क्र. 1 में साक्ष्य दी है कि दिनांक 15.05.2016 को लगभग 02.30 बजे साक्षी के पति रविकुमार अपनी टी.व्ही.एस. मोटरसाईकल क्र.—एम.पी.50बी.ए.0812 को सावधानी पूर्वक चलाकर मलाजखंड से साक—सब्जी बेचकर अपने घर बछेरापाट आ रहे थे तब ग्राम पल्हेरा चौक के पास अनावेदक ने वाहन क्र.—एम.पी.50एम.के.0130 को अत्यधिक तेजी और लापरवाहीपूर्वक चलाकर रविकुमार को जोरदार टक्कर मार दी जिससे आई चोटों के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में ले जाया गया जहां चिकित्सक ने रविकुमार को जिला चिकित्सालय रेफर किया। रास्ते में अधिक तबीयत बिगड़ जाने से पुनः सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा ले जाया गया जहां चिकित्सक ने रविकुमार को मृत घोषित किया। शव परीक्षण उपरांत परिजनों को शव सौंप दिया गया जिसका अंतिम संस्कार किया गया।

6. इसी साक्षी ने मुख्य परीक्षण के पद क्र. 8 में साक्ष्य दी है कि पुलिस थाना मलाजखंड के अभियोग पत्र के दस्तावेज, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.ए.—1, डाक्टरी मुलाहिजा रिपोर्ट प्र.ए.—2, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा की भर्ती पर्ची प्र.ए.—3, पंचायतनामा मृत्यु जांच में उपस्थित होने का आवेदन प्र.ए.—4, नक्शा पंचायतनामा प्र.ए.—5, शव परीक्षण आवेदन प्र.ए.—6, शवपरीक्षण रिपोर्ट प्र.ए.—7, संपत्ति जप्ती पत्रक प्र.ए.—9, वाहन का मैकेनिकल मुलाहिजा प्र.ए.—11, नुकसानी पंचनामा प्र.ए.—12 और अंतिम प्रतिवेदन प्र.ए.—13 पेश करना लेख किया है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्ष्य का खण्डन नहीं है।

7. राजकुमार नागेश्वर आवेदक साक्षी क्र. 2 ने भी अपने मुख्य कथन के पद क्र. 2 में साक्ष्य लेख कर पेश कर आवेदक साक्षी क्र. 1 के कथन की पुष्टि की है।

प्रतिपरीक्षण में मुख्य कथन का खण्डन नहीं है। मामले में पेश लिखित तर्क का अध्ययन किया गया, विचार में लिया गया, उपलब्ध दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादप्रश्न क्रमांक 1 **प्रमाणित** पाया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक 2 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष :-

8. आवेदक साक्षी क्रं. 1 श्रीमती राजकुमारी ने मुख्य कथन के पद क्रं. 3 में मृत पति की आयु लेख नहीं की है किन्तु कृषि कार्य कर 6000/- रु. प्रतिमाह आय अर्जित करना लेख किया है। प्रतिपरीक्षण के पद क्रं. 7 में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके पति द्वारा सब्जी बेचने की जो बाजार में पर्ची कटती है वह प्रकरण में सलग्न नहीं की है। मुख्य कथन के पद क्रं. 5 में शव परीक्षण प्रतिवेदन प्र.ए.-7 होना साक्ष्य दी है। डॉक्टर मुलाहिजा पर्ची प्र.ए.-2 साक्ष्य होना साक्ष्य हैं। प्र.ए.-2 में रवि की उम्र 26 वर्ष लेख है। धारा 175 द.प्र.सं. के अधीन लेख नोटिस में रवि की उम्र 29 वर्ष लेख है। नक्शा पंचायतनामा प्र.ए.-5 में रवि की उम्र 29 वर्ष लेख है। शवपरीक्षण हेतु लेख आवेदन में भी उम्र 29 वर्ष लेख है तथा शवपरीक्षण प्रतिवेदन में भी चिकित्सक ने उम्र 29 वर्ष लेख की है। 26 से 30 वर्ष के लिए एक ही गुणांक है इसलिए दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर मृतक की उम्र 29 वर्ष मान्य की जाती है। सामान्य मजदूरी भी मानी जावे तो 6000/-रु. मासिक मजदूरी की आय श्रम कर होती है। ज्युडिशियल नोटिस के आधार पर मृतक की आय अन्य कोई प्रमाण पेश न करने के कारण 6000/-रु. मासिक निर्धारित की जाती है। उक्तानुसार वाद प्रश्न क्रमांक 2 **प्रमाणित** पाया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक 3 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष :-

9. मामले में आवेदकगण तीन हैं जिसमें आवेदक क्रं. 1 मृतक की पत्नि तथा आवेदक क्रं. 2 पुत्र और आवेदक क्रं. 3 मृतक की माता है। इस प्रकार आवेदक सहित मृतक चार व्यक्तियों का भरण-पोषण करता था। मृतक स्वयं पर अपनी आय का 1/3 भाग व्यय कर 2/3 भाग अर्थात् 4000/-रु. तीनों आवेदकगण पर उनके भरण-पोषण पर व्यय करता था। अर्थात् 4000/-रु. मासिक की आवेदकगण की

आश्रितता थी। $4000 \times 12 = 48000$ वार्षिक क्षति हुई है। मृतक की उम्र 29 वर्ष होने से 17 का गुणा करने पर $(4000 \times 12 \times 17) = 816000$ की आय की क्षति निर्धारित की जाती है।

10. आवेदिका क्रं. 1 को दाम्पत्य सुख से वंचित होने के मद में 40,000/-रु., अंतिम संस्कार के मद में 15,000/-रु., शव को चिकित्सालय से गृह ग्राम लाने का व्यय 10,000/-रुपया, आवेदक क्रं. 2 को पितृ सुख से वंचित होने और पिता के मार्गदर्शन से वंचित होने के मद में 50,000/-रु., आवेदिका क्रं. 3 को पुत्र सुख से वंचित होने के मद में 5,000/-रु. की क्षति होना निर्धारित की जाती है। इस प्रकार कुल $81,6000 + 40,000 + 15000 + 10000 + 50000 + 5000 = 936000$ रुपये तीनों आवेदकगण अनावेदक से पाने के अधिकारी हैं और उस पर 6 प्रतिशत ब्याज राशि अदायगी तक पाने के अधिकारी हैं। उक्तानुसार वाद प्रश्न क्रमांक 3 निराकृत किया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक 4 सहायता एवं व्यय :-

21. मोटर दुर्घटना दावा में निर्मित वादप्रश्नों का निराकरण साक्ष्य के आधार पर किया गया है। वादप्रश्न क्रमांक 4 के निराकरण हेतु अभिलेख पर साक्ष्य की पुनर्वावृत्ति किए जाने की आवश्यकता नहीं है। वादप्रश्न क्रं. 1 लगायत 3 पर प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर निम्नानुसार निराकरण किया जा रहा है :-

{अ} आवेदक क्रमांक 1 श्रीमती राजकुमारी को प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति राशि कुल 3,37,000/-रुपए {तीन लाख सैतीस हजार} रुपए, अनावेदक क्रमांक 1 से आवेदन प्रस्तुति दिनांक से राशि अदाएगी तक 6 प्रतिशत ब्याज सहित पाने की अधिकारी है। आवेदिका क्रं. 1 को प्राप्त होने वाली 3,37,000/-रु. और उस पर 6 प्रतिशत प्राप्त होने वाले ब्याज की राशि की 15 वर्ष के लिए सावधि जमा रसीद किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में बनाई जावे और उस रसीद पर जमा राशि का त्रैमासिक ब्याज आवेदिका क्रं. 1 प्राप्त कर परिवार कर पालन-पोषण करेगी।

{ब} आवेदक क्रमांक 2 दीपांशु पंचेश्वर को प्राप्त होने वाली राशि 312000/- रुपए [तीन लाख बारह हजार रुपये] किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा रसीद उसके वयस्क होते तक की अवधि के लिए बनाई जावे।

{स} आवेदक क्रमांक 3 श्रीमती मीना पंचेश्वर को प्राप्त होने वाली राशि 2,77,000/- रुपए [दो लाख सत्तर हजार रुपये] में से 2,50,000/-रु. की किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा रसीद उसके मृत्यु पर्यन्त तक के लिए बनाई जावे। शेष 27,000/-रु. एवं 2,77,000/-रु. पर राशि अदायगी तक 6 प्रतिशत ब्याज की राशि सहित आवेदकगण के संयुक्त खाते में ई-भुगतान कर अदा की जावे।

{द} तदनुसार व्यय तालिका बनाई जावे।

{इ} अधिवक्ता शुल्क 1100/-1100/-रुपए देय हो।

आदेश हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में पारित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।

सही /—

(माखनलाल झोड़)

सदस्य

द्वि०अति०मो०दु०दा०अधि० बालाघाट
शृंखला न्यायालय बैहर

सही /—

(माखनलाल झोड़)

सदस्य

द्वि०अति०मो०दु०दा०अधि० बालाघाट
शृंखला न्यायालय बैहर

—:: व्यय तालिका ::—

क्र	विवरण	आवेदक	अनावेदक
1.	वाद पत्र पर शुल्क	15.00	
2.	आवेदन पत्र पर शुल्क	-	
3.	वकालतनामा पर शुल्क	10.00	10.00
4.	दस्तावेज पर शुल्क	-	
5.	अधिवक्ता फीस	1100.00	1100.00
6.	आदेशिका शुल्क व अन्य	-	-
	योग —	1125.00	1110.00

(माखनलाल झोड़)

सदस्य

द्वि०अति०मो०दु०दा०अधि० बालाघाट
शृंखला न्यायालय बैहर

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)